रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 1987/वैशाख 25, 1909
No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 1987/VAISAKHA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, 14 मई, 1987

अधिसूचना

का.आ. 483 (अ):—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के का.आ. संख्या 558 दिनांक 1 फरवरी, 1969 की अधिसूचना के साथ प्रकाशित पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के खण्ड 5 के उपखण्ड

(ix) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि 16 अप्रैल, 1987 से उपर्युक्त आदेश के प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले तरजीही (प्रेफरेन्स) शेयरों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर वह दर होगी जो कि 14 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[एस. 11(21)-सी सी आई(II)/1987]

पी. जी. मनकड, पूंजी निर्गम नियंत्रक एवं संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Office of the Controller of Capital Issues.

New Delhi, the 14th May, 1987

NOTIFICATION

S.O. 483 (E) .—In pursuance of sub-clause (ix) of clause 5 of the Capital Issues (Exemption) Order, 1969 published with the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs S.O. No. 558 dated 1st February, 1969, the Central Government hereby notifies, with effect from 16th April, 1987 the rate of dividend on preference shares, to be issued under the authority of the said Order, as that rate which does not exceed 14 percent per annum.

[S.11 (21) -CCI (II) /1987]

P. G. MANKAD, Controller of Capital Issues & Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987